

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 49/2018 अपील (राजस्व)

श्री खुमाराम पिता किशना गुर्जर, निवासी नाडियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार वल्लभनगर अन्तर्गत प्रकरण संख्या 789/2017 नाजायज कब्जा दिनांक 11.07.18

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्त
श्री मनोज कुमार पँवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:— 28.01.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 789/2017 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 25.07.18 से नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश छपे छपाये फार्म में नाम पता लिखकर पारित किया गया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता हैं। इसके अलावा भी 11.07.18 के फर्द अहकाम के अनुसार आदेश छपे छपाये फार्म में भी नहीं भरा है व छपे छपाये फार्म की इबारत ही रखी गई है जो एक दूसरे के विपरीत है, जैसे फर्द अहकाम तारीख 11.07.18 में अपीलान्त की उपस्थिति के संबंध में कोई अंकन नहीं है तथा आदेश में अपीलान्त की अनुपस्थिति दर्ज की गई है तथा

अतिक्रमी ने जवाब पेश किया/ नहीं किया है, दोनो ही बातें अंकित की है, जो गलत है। अपीलान्ट का मौजा नाड़ियाखेड़ी की आराजी संख्या 2मी. रकबा 2 बिघा चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा होना के नोटिस दिया गया है वह गलत हैं। अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा नहीं है अपीलान्ट का जो मकान बताया गया है जिसके पड़ौस पूर्व चमना जी का मकान, पश्चिम आम रास्ता, उत्तर चारागाह की जमीन, दक्षिण आम रास्ता हैं। इन पड़ौसो क मध्य स्थित भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने पुराने मकान बने हुए हैं। मकान के आगे अपीलान्ट ने सिमेन्ट के चदर डालकर पशुओ के लिये बाड़ा बना रखा है जिसमें अपीलान्ट स्वयं काफी समय से रहता है तथा उक्त मकान व पशुओ के लिये बने बाड़े के अलावा अपीलान्ट के पास रहने के लिये और कोई बाड़ा व मकान नहीं हैं। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया था जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व मनन किये बिना कथित आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं। पटवारी की रिपोर्ट में अतिक्रमी का मकान होना बताया गया है तथा यह मकान कब से बना है, किस काम आ रहा है व अतिक्रमी का कब से कब्जा है व अतिक्रमी के पास अपने खाते में कितनी भूमि है, नहीं बताया हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी अपीलान्ट का विवादीत भूमि पर बने अपीलान्ट के मकान के संबंध में कोई जाँच नहीं की है तथा अपीलान्ट का कब्जा दिनांक 15.07.1994 के पूर्व का काश्त युक्त साबित नहीं होना मानकर बेदखली के आदेश पारित किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जाँच किये रिकार्ड को बिना देखे तथा अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब के साथ मकान के फोटो पेश किये जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना फाईन्डिंग दिये कथित आदेश पारित करने में भारी भुल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जाँच रिपोर्ट मंगाई गई कि जाँच रिपोर्ट में कही यह नहीं बताया गया कि किसी मुतकिल निशान से नपति की गई तथा कितनी जमीन की नपती की गई व किस आराजी की नपती की गई है कही नहीं बताया गया है तथा पत्रावली में ऐसी कार्ड जाँच

रिपोर्ट भी नहीं है जिसमें अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा बताया गया हो फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जॉच रिपोर्ट से नाजायज कब मानकर आराजी संख्या 2 मी. से बेदखल करन का आदेश देने में भारी भुल की हैं। अपीलान्ट को पेशी तारीख 31.10.17 की पेशी की सूचना दी गई व 31.10.17 को अतिक्रमी की ओर से अधिवक्ता मुकर्रर कर जवाब हेतु मौका देकर पत्रावली दिनांक 31.10.17 को पेश होने हेतु लिखा गया था, फिर पुनः अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली में ही दिनांक 05.10.17 को नोटिस जारी कर दिनांक 31.10.17 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया था अर्थात दिनांक 05.10.17 के बाद पुनः पत्रावली दिनां 08.05.18 को पुनः नोटिस जारी करनेका क्या औचित्य रहा यह अधिनस्थ न्यायालय ने बिना स्पष्ट किये ही कथित निर्णय पारित कर दिया तथा अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.07.18 की तारीख में छपे छपाये फार्म में नाम पते भरकर तैयार कर दिया गया हैं। इसके बाद पेशिया तारीख 31.10.17, 11.12.17, 15.05.18, 23.05.18, 11.07.18 को आई एल आर से रिपोर्ट ली गई व जॉच रिपोर्ट अनुसार मौके पर अतिक्रमण मानकर दिनांक 11.07.18 को फर्द अहकाम में यह अंकित किया है कि जॉच रिपोर्ट अनुसार मौके पर अतिक्रमण पाया गया हैं। जुर्माना 50 गुना वसूल हो, मौके से बेदखली के आदेश हो, निर्णय पृथक से लिखा गया, लेकिन पत्रावली को देखन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई आदेश पृथक से नहीं लिखा गया है, बल्कि पूर्व में जो 11.07.18 की तारीख डालकर छपे छपाये फार्म में आदेश किया गया है जो विधिपूर्ण नहीं है व निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं विवादीत भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा छपे छपाये फार्म में आदेश पारित कर दिया है जिसे पारित करने में अपना माईन्ड अप्लाई नहीं किया है। पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमी का मकान होना बताया गया है परन्तु यह मकान कब बनाया गया, अतिक्रमी का कबसे कब्जा है एवं अतिक्रमी के पास अपने खाते में कितनी भूमि है नहीं बताया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी इसके संबंध में कोई जाँच नहीं की गई। मात्र दिनांक 15.07.1994 के पूर्व का काशतयुक्त साबित नहीं होना मानकर बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। बेदखली के आदेश पारित कर 100/- रुपये शास्ति से आरोपित किया गया है। अपीलान्त के खातेदारी की भूमि से चारागाह की भूमि मिली हुई है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्त का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। जिसे अपनी खातेदारी भूमि मानकर ही 50 वर्षों से खेती करता आया है। मवेशी बांधने का बाड़ा बनाया है। मकान बनाया है। मवेशी बांधने के लिये टिनशेड लगा रखा है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा इस भूमि को चारागाह की होना बताया जा रहा है। यदि भूमि चरागाह की है तो नियमन किये जाने के आदेश फरमाये जावें। भूमि की नपती कराने हेतु निवेदन किया गया जिस पर किसी भी मुस्तिकिल निशान से नपती नहीं की गई। जबकि अपीलान्त के कब्जे का मकान अपीलान्त की खातेदारी की भूमि में है या चारागाह की भूमि में है इसे तय किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने के अधिकार नहीं होते हुए भी आदेश पारित किया गया है। अतः अब भी संयुक्त सर्वे दल से भूमि की नपती अपीलान्त की उपस्थिति में करायी जाकर अपीलार्थी को संतुष्ट किया जावें। अपीलार्थी भूमिहीन काशतकार हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पर्याप्त साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए छपे छपाये फार्म पर आदेश पारित कर दिया गया। ऐसा आदेश किसी स्थिति में वैधानिक नहीं माना जा सकता है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा कब्जा मौजा नाड़ियाखेड़ी के आराजी संख्या 2मी. रकबा 2 बिघा भूमि पर बताया गया है। इस प्रकार न्यायालय स्वयं भी यह साबित नहीं कर पाया है कि वास्तव में नाजायज कब्जा है अथवा नहीं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित करे कि वह अपीलार्थी की उपस्थिति में किसी भी मुस्तकील पोइन्ट से संयुक्त सर्वे टीम द्वारा सर्वे कराकर अपीलार्थी को सही स्थिति से ज्ञान करावें एवं अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखे कि अपीलार्थी का कब्जा कितना पुराना है एवं अपीलार्थी को सुनकर ही साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर गुणावगुण पर न्यायोचित आदेश पारित करें। चुंकी वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के खाते से लगी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि चारागाह की तारीफ में भी आती है तो काबिले नियमन योग्य है जिसे नियमन की जाकर अपीलार्थी के नाम दर्ज की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि रिपोर्ट पटवारी तारावट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी के विरुद्ध मौजा नाड़ियाखेड़ी की आराजी संख्या 2 मी. रकबा 2 बिघा चारागाह भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर विधिवत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी किया जाकर अपीलार्थी को सुनकर बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत की गई है जिसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश न्यायोचित है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। चारागाह भूमि को आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। चारागाह भूमि मात्र गाँव के मवेशियो की चराई हेतु चारागाह के रूप में ही उपयोग में ली जा सकती है। यदि अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया

भी गया है तो ऐसा निर्माण कार्य गैर कानूनी हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि आराजी संख्या 2मी. रकबा 2 बिघा भूमि पर 50 वर्ष पूर्व का कब्जा होकर इस भूमि पर काश्त की जाती रही हैं। इस भूमि को सदैव अपनी खातेदारी समझा गया है। परन्तु इस बाबत अपीलार्थी द्वारा ना तो अधिनस्थ न्यायालय में नाही इस न्यायालय में कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत किये गये हैं। अतिक्रमित भूमि पर 50 वर्ष से कब्जा होना बताया गया है जिसके संबंध में भी कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलान्त के आवेदन पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक से वादग्रस्त अतिक्रमित भूमि की पुनः जाँच करवायी गई। अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.07.18 के अनुसार अतिक्रमी/अपीलान्त का मौजा नाड़ियाखेड़ी की आराजी संख्या 2मी. रकबा 2 बिघा भूमि पर नाजायज कब्जा होना बताया गया है। जिससे अपीलार्थी का यह कथन साबित नहीं होता है कि किसी मुस्तकील पोईन्ट से नपती नहीं की गई अतिक्रमित भूमि किस्म चरागाह हैं। जिसका उपयोग ग्राम के पशुओं के चराई के लिये ही किया जा सकता है। बिना ग्राम पंचायत की स्वीकृति के इसका किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया जा सकता है। जबकि अपीलान्त द्वारा इस पर अतिक्रमण कर काश्त की जा रही हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.18 को सभी तथ्यों को पूर्णतया भलीभांती अवलोकन कर पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी किया जाना दृष्टिगत नहीं होता है। इस कारण अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती हैं और अपील अपीलार्थी में कोई बल नहीं होने से अपील खारीज किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर